पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली न. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403, 09414068780, 09343211679

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmbharat@gmail.com,Website : www.abrsm.in

ABRSM

सा विद्या या विमुक्तये

अध्यक्ष	महामंत्री	अतिरिक्त महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
जगदीश प्रसाद सिंघल	शिवानन्द सिंदनकेरा	डॉ. निर्मला यादव	महेन्द्र कपूर	ओमपाल सिंह
09414068780	09343211679	09412169506	09868711893, 09414040403	09415121329

उपाध्यक्ष
महिला संवर्ग
डॉ. कल्पना पांडे (महाराष्ट्र)
09923754561
प्राथमिक संवर्ग
हिम्मत सिंह जैन (मध्यप्रदेश)
09425973461
माध्यमिक संवर्ग
पी. वेंकटराव (तेलंगाना)
09490149248
उच्च शिक्षा संवर्ग
प्रो. प्रगनेश शाह (गुजरात)
09879567178
मंत्री
महिला संवर्ग
डॉ. गीता भट्ट (दिल्ली)
09810897367
प्राथमिक संवर्ग
पीएस गोपकुमार (केरल)
09447906186
माध्यमिक संवर्ग
मोहन पुरोहित (राजस्थान)
09829234345
उच्च शिक्षा संवर्ग
डॉ.मनोज सिन्हा (दिल्ली)
09868877699
संयुक्त मंत्री
महिला संवर्ग
श्रीमती ममता डी. के. (कर्नाटक)
09886598436
प्राथमिक संवर्ग
श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तर प्रदेश)
09450488131
माध्यमिक संवर्ग
पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश)
09817399333
उच्च शिक्षा संवर्ग
डॉ. नारायण लाल गुप्ता (राजस्थान)
09414497042
कोषाध्यक्ष
संजय कुमार राऊत (मध्यप्रदेश)
09826050266
आंतरिक अंकेक्षक
डॉ. पवित्र कुमार रथ (ओडिशा)
09937661228
उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
महेन्द्र कुमार (वाराणसी केन्द्र)
09415201262
महिला संवर्ग प्रभारी
श्रीमती प्रियम्वदा सक्सेना (महाराष्ट्र)
09373302551
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. शेखर बसंत चन्द्रात्रे (महाराष्ट्र)
09869141250
शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
प्रो. शैलेष कुमार मिश्र (उत्तरप्रदेश)
09415446525
मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विजय कुमार सिंह (मध्यप्रदेश)
09425179729
समर्थ भारत आयाम प्रमुख
रतन लाल शर्मा (दिल्ली)
09968030795

पत्रांक : उ.शि.सं.-3/ विक्रम संवत् 2076 दिनांक : 21.08.2019

उच्च शिक्षा संवर्ग का माँग पत्र

1. देश भर में उच्च शिक्षा के मानकों की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समय के भीतर यूजीसी विनियमन 2018 को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को केंद्रीय सहायता का भुगतान तभी किया जाए, जब उन्होंने इस योजना को समग्र रूप से अपनाया और लागू किया हो।
2. 2004 के पूर्व पेंशन योजना को पुनर्जीवित किया जाए और सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए विस्तारित किया जाए।
3. पूरे देश में एक समान तरीके से शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष हो।
4. शिक्षकों की नियमित और स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। यदि किसी संस्थान में वर्ष के अंत तक 20 प्रतिशत से अधिक रिक्तियाँ रहती है, तो उनके अनुदान और मान्यता को निलंबित किया जाना चाहिए।
5. अनुबंध / तदर्थ आधार पर नियुक्तियाँ तत्काल रोक दी जानी चाहिए। विधिवत चयनित तदर्थ शिक्षकों को अवशोषित और नियमित किया जाए।
6. शिक्षकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमित और व्यवस्थित आधार पर हो।
7. विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को समयबद्ध कैरियर उन्नति योजना लाभ प्रदान किया जाए।
8. सेवारत शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्स वर्क करने से छूट दी जाए।
9. राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ कि राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों को भुगतान राजकोष के माध्यम से किया जाए।
10. उच्च शिक्षा संस्थानों में की गई सभी भूतपूर्व सेवाओं को पदोन्नति के लिए गिना जाए।
11. पूरे देश में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों के लिए उचित शिक्षक छात्र अनुपात लागू किया जाए।
12. पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा निदेशक और अन्य समकक्ष कर्मचारियों की वेतन संरचनाओं, सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति लाभों को शिक्षकों के समान किया जाए।
13. अशैक्षणिक सपोर्टिंग स्टॉफ की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति जाए ताकि शिक्षक शिक्षण और शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
14. उच्च शिक्षा के लिए प्रख्यात शिक्षाविदों से युक्त स्वतंत्र स्वायत्त नियामक आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर गठित किया जाना चाहिए।

लगातार-2

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली न. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403, 09414068780, 09343211679

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmbharat@gmail.com,Website : www.abrsm.in

ABRSM

अध्यक्ष	महामंत्री	अतिरिक्त महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
जगदीश प्रसाद सिंघल	शिवानन्द सिंदनकेरा	डॉ. निर्मला यादव	महेन्द्र कपूर	ओमपाल सिंह
09414068780	09343211679	09412169506	09868711893, 09414040403	09415121329

उपाध्यक्ष
महिला संवर्ग
डॉ. कल्पना पांडे (महाराष्ट्र)
09923754561
प्राथमिक संवर्ग
हिम्मत सिंह जैन (मध्यप्रदेश)
09425973461
माध्यमिक संवर्ग
पी. वेंकटराव (तेलंगाना)
09490149248
उच्च शिक्षा संवर्ग
प्रो. प्रगनेश शाह (गुजरात)
09879567178
मंत्री
महिला संवर्ग
डॉ. गीता भट्ट (दिल्ली)
09810897367
प्राथमिक संवर्ग
पीएस गोपकुमार (केरल)
09447906186
माध्यमिक संवर्ग
मोहन पुरोहित (राजस्थान)
09829234345
उच्च शिक्षा संवर्ग
डॉ.मनोज सिन्हा (दिल्ली)
09868877699
संयुक्त मंत्री
महिला संवर्ग
श्रीमती ममता डी. के. (कर्नाटक)
09886598436
प्राथमिक संवर्ग
श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तर प्रदेश)
09450488131
माध्यमिक संवर्ग
पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश)
09817399333
उच्च शिक्षा संवर्ग
डॉ. नारायण लाल गुप्ता (राजस्थान)
09414497042
कोषाध्यक्ष
संजय कुमार राऊत (मध्यप्रदेश)
09826050266
आंतरिक अंकेक्षक
डॉ. पवित्र कुमार रथ (ओडिशा)
09937661228
उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
महेन्द्र कुमार (वाराणसी केन्द्र)
09415201262
महिला संवर्ग प्रभारी
श्रीमती प्रियम्वदा सक्सेना (महाराष्ट्र)
09373302551
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. शेखर बसंत चन्द्रात्रे (महाराष्ट्र)
09869141250
शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
प्रो. शैलेष कुमार मिश्र (उत्तरप्रदेश)
09415446525
मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विजय कुमार सिंह (मध्यप्रदेश)
09425179729
समर्थ भारत आयाम प्रमुख
रतन लाल शर्मा (दिल्ली)
09968030795

पत्रांक : उ.शि.सं.-3/ विक्रम संवत् 2076 — दिनांक : 21.08.2019

15. संपूर्ण देश में महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम यूजीसी के प्रावधानों के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर किए जाएँ।
16. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रिंसिपल पद का कार्यकाल 5 वर्ष तक ही सीमित नहीं रखा जाए बल्कि इसे सेवानिवृत्ति तक विस्तारित किया जाए।
17. केंद्र सरकार द्वारा जीडीपी का 10 प्रतिशत और राज्य सरकार के बजट का 30 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ता, विस्तार और इक्विटी के लक्ष्यों तक पहुँचा जा सके।
18. शिक्षा का व्यावसायीकरण रोका जाए।
19. शिक्षा में स्वायत्तता को बहाल किया जाए और राजनीति एवं नौकरशाही के हस्तक्षेप को रोका जाए। शिक्षाविदों की सभी निर्णय लेने वाले निकायों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
20. उच्च शिक्षा के हर पाठ्यक्रम के लिए मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन हेतु विकल्प प्रदान किया जाए।
21. कई विश्वविद्यालयों ने बाद की तारीख में पीएच.डी के लिए यूजीसी विनियमन 2009 अपनाया है। विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन को अपनाने से पहले ऐसे विश्वविद्यालयों में पीएच.डी. के लिए पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों को नेट की अनिवार्यता से छूट दी जाए।
22. सहायक प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर तक कैरियर उन्नति योजना के लिए पीएच.डी. की बाध्यता को वापस लिया जाए।
23. सहायक प्रोफेसर के पद पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मानदंड सार्वभौमिक और निष्पक्ष प्रणाली पर आधारित होना चाहिए।
24. यूजीसी वेतनमान को पूरे देश में समान रूप से लागू करने के लिए राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को कम से कम 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त वित्तीय भार की न्यूनतम 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाए।
25. शिक्षण पेशे में प्रतिभा को आकर्षित करने और पेशे में उनकी देर से प्रवेश के साथ अधिक योग्य होने के मद्देनजर यूजीसी वेतनमान में पहले स्तर को 10 से 11 तक संशोधित किया जाना चाहिए और तदनुसार 11, 12, 13 और 14 के स्तर को क्रमश : 12, 13, 14 और 15 तक संशोधित किया जाना चाहिए।

भवदीय

(डॉ. मनोज सिन्हा)
सचिव, उच्च शिक्षा संवर्ग
अ.भा.राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ